English → Hindi

लाइव देखें BBC सदस्यता लें दाखिल करना

ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण कानूनों में दशकों में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है

8 दिन पहले

शेयर करना बचाना

लाना लैम
सिडनी

ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण कानूनों में सुधारों में कोयला और गैस परियोजनाओं की तीव्र गति पर सीमा लगाना शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया अपने दशकों पुराने प्रकृति कानूनों में बड़े सुधारों के साथ बदलाव करने जा रहा है, जिसमें देश का पहला स्वतंत्र पर्यावरण नियामक भी शामिल है।

कई वर्षों के गतिरोध के बाद, विपक्ष के साथ वार्ता ठप हो जाने के बाद, लेबर सरकार ने कानूनों को पारित कराने के लिए अल्पसंख्यक ग्रीन्स पार्टी के साथ अंतिम समय में समझौता कर लिया।

इन परिवर्तनों में देशी वनों के लिए अधिक सुरक्षा, भूमि की सफाई के लिए सख्त नियम तथा कोयला और गैस परियोजनाओं की तीव्र गति पर सीमा लगाना शामिल है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि और अधिक किये जाने की आवश्यकता है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि ये कानून प्रकृति और व्यापार के लिए जीत हैं तथा इससे आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं में तेजी आएगी।

ग्रीन्स के समर्थन से, लेबर के प्रस्तावित परिवर्तनों के गुरुवार को सीनेट से पारित होने की उम्मीद है, जो इस वर्ष संसद का अंतिम बैठक दिवस है।

कई महीनों से, विपक्षी दल - लिबरल्स और नेशनल्स का गठबंधन - भी इस विधेयक पर सरकार के साथ बातचीत कर रहा था, जिसका ध्यान व्यवसायों के लिए अधिक रियायतें प्राप्त करने पर था।

लिबरल्स नेता सुसैन ले ने लेबर-ग्रीन्स समझौते को "गंदा" करार दिया और कहा कि इससे वानिकी क्षेत्र में नौकरियां खत्म हो जाएंगी।

यह नवीनतम घटनाक्रम ऑस्ट्रेलिया के प्रकृति कानूनों की एक स्वतंत्र समीक्षा के पांच वर्ष बाद सामने आया है, जिसमें पाया गया था कि वे अब उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

सरकार ने कहा कि इन सुधारों से भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा होगी तथा "आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों" में परियोजनाओं में तेजी आएगी।

अल्बानीज़ ने कहा, "सभी इस बात पर सहमत हैं कि वर्तमान कानून टूटे हुए हैं और उनमें सुधार की आवश्यकता है।"

"इन कानूनों को पारित कराना हमारे पर्यावरण की रक्षा करने तथा हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।"

पारित होने के बाद, नए कानून से ऑस्ट्रेलिया की पहली राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना होगी, साथ ही राष्ट्रीय मानकों का एक सेट भी स्थापित होगा, जिसमें लुप्तप्राय वन्यजीवों की सुरक्षा के नियम शामिल होंगे।

यह "उच्च जोखिम वाली भूमि की सफाई" के लिए छूट को भी हटा देगा तथा क्षेत्रीय वन समझौतों को राज्य के कानूनों के बजाय संघीय कानूनों के अंतर्गत लाएगा।

प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई गैस परियोजना 2070 तक विस्तारित
2050 तक समुद्र का बढ़ता जलस्तर 15 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए ख़तरा बन जाएगा - रिपोर्ट

ग्रीन्स नेता सीनेटर लारिसा वाटर्स ने कहा कि उनकी पार्टी ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की है, लेकिन उन्होंने सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने तथाकथित "जलवायु ट्रिगर" को शामिल नहीं किया है, जो कार्बन उत्सर्जन पर आधारित जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को रोक सकता है।

इसके बजाय, परियोजना को अपने कार्बन उत्सर्जन की रिपोर्ट देनी होगी और यह योजना प्रस्तुत करनी होगी कि वे 2050 तक इसे कैसे शून्य तक कम करने की योजना बना रहे हैं। कानूनों में एक "जल ट्रिगर" शामिल किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि कोयला और गैस परियोजनाओं को अपने जल उपयोग के लिए संघीय अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

स्वतंत्र जलवायु संगठन क्लाइमेट काउंसिल की प्रमुख अमांडा मैकेंजी ने कहा कि इस समझौते से स्थानीय वनों को लाभ होगा, लेकिन नई कोयला और गैस परियोजनाओं को "जलवायु प्रदूषण पर अभी भी खुली छूट मिलेगी"।

उन्होंने कहा, "यह उस कानून में एक बड़ी खामी है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से प्रकृति की रक्षा करना है।"

गुरुवार को जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया - जो प्रति व्यक्ति विश्व में सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक है - यदि इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए तो वह 2035 तक उत्सर्जन में कमी लाने के अपने लक्ष्य से चूक जाएगा।

इस साल की शुरुआत में, सरकार ने घोषणा की थी कि वह अगले दशक में 2005 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन में कम से कम 62% की कटौती करेगी । मौजूदा अनुमानों के अनुसार, उत्सर्जन में केवल 48 से 52 प्रतिशत की कमी आएगी।

पर्यावरण ऑस्ट्रेलिया

संबंधित

ज्वालामुखी विस्फोट से यूरोप में घातक ब्लैक डेथ प्लेग फैल सकता है

ब्रिटेन की सबसे बड़ी खुली खदान से निकलने वाला कचरा 'बड़ा खतरा' पैदा कर रहा है

'विलुप्त' मृग सहारा में आशा की किरण लेकर आ रहा है